FORM NO. III
फर्द अहकाम
(निमय 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

.....नं.....सन्.....

किस्म मुकदमा.....

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी
14/7/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/07/25 को पत्रावली पेश हो।	
17/7/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमियॉ हमारी सहखातेदारी की है, जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी 3 लगायत 5 सहखातेदार गफ्फूर के वारिसा है व अप्रार्थी संख्या 6 सहखातेदार पीर खॉ का वारिस है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमियों पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमियों का अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। विधिवत बंटवारा नहीं होने से प्रार्थी अपनी भूमि पर काश्त करने में परेशानियों का सामना करता है। अप्रार्थीगण भूमियों का बंटवारा नहीं करवाना चाहते है व प्रार्थी को उक्त भूमियों में निहित हिस्से पर से बेदखल करने में आमादा है व कब्जे काश्त में बाधा डालते रहते है। अतः अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक उक्त कृत्य नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे। उक्त तथ्यों के खण्डन में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि विवादित भूमि के तीन सहखातेदार है	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तारीख क्रम —	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थी जमान खॉ के पिता ने अपना हिस्सा अप्रार्थीगण के पिता को बेचान कर दिया था जिस पर आज भी हम काबिज काश्त चले आ रहे है। 14–15 वर्षो से अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने बाबत कोई दस्तावेज इन्होंने पेश नहीं किया है यह केवल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने का फायदा उठाकर स्थगन प्राप्त कर मौके पर काबिज होकर हमें बेदखल करना चाहते है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता संख्या 263 के खसरा नम्बरान 2772 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम अलोद पटवार मण्डल अलोद जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित है। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

<u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u> :– विवादित भूमि खाता संख्या 263 के खसरा नम्बरान 2772 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम अलोद पटवार मण्डल अलोद जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित होने से व प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग करने का हक व अधिकार होने से प्रथम दृष्ट्या मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

<u>सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त</u> :– विवादित भूमि खाता संख्या 263 के खसरा नम्बरान 2772 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम अलोद पटवार मण्डल अलोद जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित होने से व प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग करने का हक व अधिकार होने से

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सुविधा संतुलन का सिद्धान्त आंशिक रूप से प्रार्थी के हक में बन रहा है।

अपूर्णीय क्षति की संभावना :– विवादित भूमि खाता संख्या 263 के खसरा नम्बरान 2772 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम अलोद पटवार मण्डल अलोद जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित होने से व प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग करने में अप्रार्थीगण द्वारा दखलदांजी करने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई है।

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में होने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में बनने एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक :–27.10.2010 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की गई, अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद कन्फर्म (Confirm) की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली